

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर :

यद्यपि जनसूचना पटल में प्राप्त होने वाले प्रश्न सामान्यतः आवेदक के व्यक्तिगत समस्या विषयक होते हैं जिनका समाधान सम्बन्धित विभाग/अनुभाग द्वारा ही किया जा सकता है तदपि जनसूचना अधिकारियों की समुचित सूचना न होने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्यत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर दिये जाते हैं जिससे उनके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है, अतः यथासम्भव आवेदक द्वारा परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर प्रदर्शित जनसूचना अधिकारियों की सूची के अनुसार ही आवेदन किये जायें ।

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
.....

महोदय,

कृपया "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

1. मांगी गई सूचना का विवरण
(क)

(ख) सूचना का प्रकार

(ग) किस समय-अंतराल की सूचना चाही गई है —
दिनांक से दिनांक तक

2. (क) आवेदक का नाम

(ख) पत्र व्यवहार का पता

(ग) स्थाई पता

.....

.....

(घ) टेलीफोन नं. मोबाइल नं.

(च) ई मेल

3. सूचना की श्रेणी (कृपया टिक करें)

- (1) अभिलेखों का निरीक्षण
- (2) दस्तावेजों की प्रतिलिपि
- (3) सामग्री का नमूना
- (4) अन्य

4. क्या आवेदक "गरीबी की सीमा रेखा से नीचे" की श्रेणी में आता है (हाँ/नहीं)

(1) यदि हाँ तो प्रमाण संलग्न करें।

5. शुल्क का विवरण –

नकद/बैंक ड्राफ्ट

(1) रसीद संख्या

(2) बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक

बैंक का नाम व पता

6. सूचना किस प्रकार चाही गई है — डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ और "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु पात्र हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

.....
प्राप्ति रसीद

1. आवेदन पत्र निम्नानुसार प्राप्त किया गया :

(क) डाक द्वारा

(ख) ई मेल द्वारा

(ग) व्यक्तिगत रूप से

2. आवेदन पत्र पंजीकरण संख्या RTI / दिनांक

3. (क) क्या मांगी गई सूचना अन्य पक्ष (Third party) से संबंधित है

(ख) यदि हाँ तो अन्य पक्ष का नाम व पता

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

उदाहरण

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
.....

महोदय,

कृपया "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

1. मांगी गई सूचना का विवरण : (क)

विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि के संबंध में।

(ख) सूचना का प्रकार

(ग) किस समय-अंतराल की सूचना चाही गई है ---

दिनांकX..... से दिनांकX..... तक

2. (क) आवेदक का नाम : रमाकान्त त्रिपाठी

(ख) पत्र व्यवहार का पता : 3/44, मॉडल हाउस, लखनऊ

(ग) स्थाई पता .उपरोक्त.....

(घ) टेलीफोन नं. 2235466 मोबाइल नं. 9936765432

(च) ई मेल
3. सूचना की श्रेणी (कृपया टिक करें)

- ✓(1) अभिलेखों का निरीक्षण
(2) दस्तावेजों की प्रतिलिपि
(3) सामग्री का नमूना
(4) अन्य

4. क्या आवेदक "गरीबी की सीमा रेखा से नीचे" की श्रेणी में आता है (हाँ/नहीं)
(1) यदि हाँ तो प्रमाण संलग्न करें।

5. शुल्क का विवरण -

नकद/बैंक ड्राफ्ट

(1) रसीद संख्या

(2) बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक123456 दिनांक 11/04/2007.....

बैंक का नाम व पता : स्टेट बैंक ऑफ. इंडिया, मुख्य शाखा, लखनऊ.....

6. सूचना किस प्रकार चाही गई है — डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ और "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु पात्र हूँ।

SD
आवेदक के हस्ताक्षर

.....
प्राप्ति रसीद

1. आवेदन पत्र निम्नानुसार प्राप्त किया गया :

(क) डाक द्वारा

(ख) ई मेल द्वारा

(ग) व्यक्तिगत रूप से

2. आवेदन पत्र पंजीकरण संख्या RTI / 00110 दिनांक : 11/04/2007

3. (क) क्या मांगी गई सूचना अन्य पक्ष (Third party) से संबंधित है

(ख) यदि हाँ तो अन्य पक्ष का नाम व पता

SD
आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

SD
प्राप्तकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

शुल्क :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने की प्रार्थना उचित रसीद के सहित नकद अथवा डिमान्ड ड्रॉफ्ट अथवा लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी को देय बैंकर्स चेक द्वारा 10 रु प्रार्थना शुल्क के साथ होगी।

2. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिये, उचित रसीद के सहित नकद अथवा डिमान्ड ड्रॉफ्ट अथवा लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी को देय बैंकर्स चेक द्वारा शुल्क निम्नलिखित दर पर प्रभारित की जायेगी –

(क) सृजित या कापी किये गये पेज (ए-4 या ए-3 का पेपर के) लिये 2 रुपये

(ख) बड़े साइज के पेपर में एक प्रति का वास्तविक भार या लागत मूल्य

(ग) नमूनों या प्रतिमानों के लिये वास्तविक लागत या मूल्य और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिये, प्रथम घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं, प्रत्येक पश्चातवर्ती घंटे (या उससे भिन्न) के लिये पाँच रु. शुल्क ।

3. धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिये, उचित रसीद के सहित नकद अथवा डिमान्ड ड्रॉफ्ट अथवा लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी को देय बैंकर्स चेक द्वारा शुल्क निम्नलिखित दर पर प्रभारित की जायेगी –

(क) डिस्कट अथवा फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये पचास रुपये प्रति डिस्कट अथवा फ्लापी और

(ख) मुद्रित रूप में सूचना उपलब्ध कराने के लिये ऐसे पब्लिकेशन के लिये नियत मूल्य अथवा पब्लिकेशन से उद्धरण के लिये फोटोकापी का प्रति पेज दो रुपया ।

सूचना मांगे जाने हेतु कुछ टिप्स :

1. आवेदक द्वारा वांछित सूचना विषयक स्पष्ट विवरण दिया जाये जिससे यह ज्ञात करने में कठिनाई न हो कि सूचना किस विभाग/अनुभाग से वांछित है ।
2. आवेदक द्वारा अपना नाम,पता आदि का विवरण सुस्पष्ट दिया जाये जिससे सम्पर्क स्थापित करने में कोई कठिनाई न आये ।
3. आवेदक द्वारा दिये जाने वाले शुल्क आदि की पूर्ण जानकारी कर ही ड्राफ्ट आदि भरे जायें जिससे उनके गलत होने की दशा में आवेदन निरस्त होने की स्थिति न आये ।
4. एक आवेदनपत्र पर यथा सम्भव एक विभाग/अनुभाग विषयक सूचना ही मांगी जाये ।
5. आवास विकास परिषद में विभिन्न कार्यक्षेत्रों हेतु अलग-अलग जनसूचनाधिकारी/अपीली अधिकारी नियुक्त किये गये हैं,यथासम्भव सम्बन्धित कार्य के जनसूचनाधिकारी को ही आवेदन प्रस्तुत किया जाये ।

सूचना न देने पर अपील की प्रक्रिया :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय पंचम के नियम 19 के अनुसार कोई व्यक्ति जो धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समयावधि में निर्णय प्राप्त नहीं करता है या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय से क्षुब्ध है,ऐसे निर्णय की प्राप्ति के 30 जिन के भीतर ऐसे अधिकारी के समक्ष जो केन्द्रीय लोकसूचनाधिकारी या राज्य सूचनाधिकारी जैसी भी स्थिति हो,प्रत्येक लोक प्राधिकारी के पद में वरिष्ठ अधिकारी से अपील कर सकेगा। परन्तु यह कि वह अधिकारी 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा/सकेगी बशर्ते उसका समाधान हो जाये कि अपीलार्थी को समय के भीतर अपील दाखिल करने हेतुक द्वारा निवारित किया गया था।

इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय पंचम के नियम 19 में विस्तार से दिया गया है ।

परिषद के परिप्रेक्ष्य में आवेदक 30 दिनों की समयसीमा समाप्त होने अथवा दिये गये उत्तर से असहमति की दशा में नामित अपीली अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है ।